EPIC और आधार: पहचान पर क्या स्पष्ट हुआ?

समाचार-संदर्भ: 6 नवंबर 2026 का स्पष्टीकरण; रिपोर्ट 7 नवंबर | मूल प्रकाशन: 4 नवंबर 2026 | अद्यतन: 8 नवंबर 2026
प्रिलिम्स: EPIC, आधार, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और पात्रता



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

कल्याण-भुगतान में आधार की जगह मतदाता पहचान-पत्र के उपयोग पर विवाद के बाद केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने **6 नवंबर 2026** को स्पष्टीकरण दिया। अगले दिन प्रकाशित रिपोर्टों में उद्धृत उनके बयान के अनुसार **प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (PM VGSY)** में पंचायत प्रतिनिधियों और पंचायत से जुड़े प्रशिक्षणार्थियों की पहचान **EPIC संख्या तथा बायोमेट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण** से की जाएगी।

यह आधार को सभी कल्याण योजनाओं से हटाने की बात से अलग, प्रशिक्षणार्थियों की पहचान का विशिष्ट संदर्भ है। इस बयान से देश की सभी पेंशन, राशन या अन्य लाभ-योजनाओं में आधार समाप्त हो जाने अथवा वोटर कार्ड सार्वभौमिक रूप से अनिवार्य हो जाने का निष्कर्ष नहीं निकलता।

पहले बयान और स्पष्टीकरण में अंतर

पहले क्या कहा गया: 30 अक्टूबर की कार्यशाला और 3 नवंबर के गंगटोक कार्यक्रम से जुड़ी रिपोर्टों में मंत्री ने भुगतान के लिए आधार की जगह EPIC तथा बायोमेट्रिक उपयोग की बात कही थी। लेकिन सभी प्रभावित योजनाओं की स्पष्ट सूची सामने नहीं थी।

बाद में क्या स्पष्ट किया: 6 नवंबर के जवाब में उन्होंने PM VGSY के तहत पंचायत प्रतिनिधियों और अन्य पंचायत हितधारकों के प्रशिक्षण का उल्लेख किया। इसमें EPIC के **साथ** आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बताया गया, आधार का पूर्ण प्रतिस्थापन नहीं।

क्या सावधानी रखें: मंत्री का बयान, किसी योजना की अधिसूचना, लागू संचालन-दिशानिर्देश और जमीन पर वास्तविक कार्यान्वयन अलग प्रमाण हैं। यहाँ स्पष्टीकरण का विवरण समाचार-रिपोर्टों में उद्धृत बयान पर आधारित है; इसे सभी योजनाओं को बदलने वाली नई अधिसूचना नहीं कहा जा रहा है।

EPIC और आधार: काम अलग हैं

बिंदु	EPIC	आधार
पूरा नाम	Electors' Photo Identity Card; मतदाता फोटो पहचान-पत्र	UIDAI द्वारा जारी 12 अंकों की पहचान संख्या
मुख्य संदर्भ	मतदाता पहचान और निर्वाचन व्यवस्था	निवासी की पहचान का सत्यापन
प्रमुख अंतर	मतदाता-पंजीकरण की अपनी आयु, नागरिकता और निवास संबंधी शर्तें हैं	आधार अपने आप नागरिकता या अधिवास का अधिकार नहीं देता
कल्याण-पात्रता	कार्ड होना अकेले किसी भी योजना की पात्रता सिद्ध नहीं करता	पहचान का सत्यापन अकेले आय, पेशा या योजना की अन्य शर्तें सिद्ध नहीं करता

निर्वाचन आयोग के अनुसार सामान्य मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए भारतीय नागरिक होना, अर्हता तिथि पर कम से कम 18 वर्ष की आयु, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य निवास और अन्य वैधानिक शर्तें जरूरी हैं। आधार का दायरा मतदाता-सूची से अलग है। इसलिए दोनों पहचान-व्यवस्थाओं को एक-दूसरे का पर्याय नहीं मानना चाहिए।

बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण क्या है

बायोमेट्रिक: उँगलियों के निशान, आँख की पुतली की बनावट या चेहरे जैसी शारीरिक विशेषताओं से जुड़ी जानकारी। आधार प्रमाणीकरण में पहचान संख्या के साथ जनसांख्यिकीय, OTP या बायोमेट्रिक जानकारी का UIDAI के केंद्रीय पहचान भंडार के रिकॉर्ड से सत्यापन किया जाता है।

पहचान और पात्रता का अंतर: प्रमाणीकरण पूछता है कि प्रस्तुत पहचान रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। योजना-पात्रता पूछती है कि व्यक्ति उस योजना की निर्धारित शर्तें पूरी करता है या नहीं। किसी व्यक्ति की पहचान सही होने पर भी वह हर योजना का पात्र नहीं हो जाता। इसी तरह मशीन की तकनीकी विफलता अपने आप धोखाधड़ी सिद्ध नहीं करती।

बहिष्करण और गोपनीयता का प्रश्न

बहिष्करण-जोखिम: पहचान रिकॉर्ड में त्रुटि, नेटवर्क की समस्या या बायोमेट्रिक मिलान विफल होने से वास्तविक व्यक्ति को कठिनाई हो सकती है। किसी व्यवस्था में वैकल्पिक सत्यापन, सुधार और शिकायत-निवारण की स्पष्ट प्रक्रिया जरूरी है।

डेटा का सीमित उपयोग: जितनी जानकारी काम के लिए जरूरी हो, उतनी ही ली जाए। किस उद्देश्य से जानकारी ली जा रही है, कौन उसे देख सकेगा और कितने समय तक रखेगा, यह स्पष्ट होना चाहिए। प्रशिक्षण में उपस्थिति की पुष्टि और किसी नागरिक की व्यापक कल्याण-पात्रता का निर्णय अलग उपयोग हैं।

राजनीतिक आरोप बनाम प्रमाण: विपक्ष ने मतदाता-सूची से नाम हटने को कल्याण लाभ से जोड़ने पर चिंता जताई। मंत्री ने तथ्यों को गलत पेश करने का आरोप लगाते हुए प्रशिक्षण-आधारित पहचान का संदर्भ दिया। किसी पक्ष के आरोप को बिना स्वतंत्र प्रमाण के सभी योजनाओं की लागू स्थिति नहीं मानना चाहिए।

परीक्षा के लिए महत्त्व

EPIC का निर्वाचन संदर्भ, आधार की निवासी-पहचान और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया समझें। **दस्तावेज़, पहचान, नागरिकता और कल्याण-पात्रता** चार अलग अवधारणाएँ हैं। समाचार में प्रस्ताव या बयान मिलने पर उसकी योजना-विशिष्ट सीमा और कानूनी स्थिति जाँचना जरूरी है।

आगे की राह

सरकार योजना-विशिष्ट पहचान नियम सरल भाषा में सार्वजनिक करे। प्रशिक्षणार्थियों की सही पहचान के साथ तकनीकी विफलता का विकल्प और शिकायत-निवारण हो। सार्वजनिक स्पष्टीकरण में यह भी साफ रहे कि कौन-सा नियम केवल प्रशिक्षण पर लागू है और कौन-सा किसी भुगतान पर। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और अनावश्यक भ्रम घटेगा।

पहचान-प्रणाली से अलग आर्थिक झटकों के वितरण का प्रश्न पढ़ें: नोटबंदी: नकदी की कमी और दवाओं की खरीद

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. पहचान-व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: आधार UIDAI द्वारा जारी 12 अंकों की पहचान संख्या है।

कथन 2: आधार अपने धारक को स्वतः भारतीय नागरिकता का अधिकार देता है।

कथन 3: किसी व्यक्ति की पहचान का प्रमाणीकरण और किसी विशेष योजना की पात्रता का निर्धारण अलग प्रश्न हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

▼ उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b) केवल 1 और 3

कथन 1 सही है: UIDAI आधार की 12 अंकों की संख्या जारी करता है।

कथन 2 गलत है: आधार पहचान का प्रमाण है; अपने आप नागरिकता या अधिवास का अधिकार नहीं देता।

कथन 3 सही है: पहचान का मेल व्यक्ति की आय, आयु या योजना की सभी अन्य शर्तों की पूर्ति का प्रमाण नहीं।

प्रश्न 2. आधार प्रमाणीकरण का सबसे उपयुक्त अर्थ निम्नलिखित में से कौन-सा है?

(a) प्रत्येक धारक को सभी सरकारी योजनाओं का पात्र घोषित करना

(b) किसी व्यक्ति का मतदाता-सूची में स्वतः नाम जोड़ना

(c) प्रस्तुत पहचान-सूचना का केंद्रीय पहचान रिकॉर्ड से सत्यापन करना

(d) किसी व्यक्ति की नागरिकता का अंतिम निर्णय देना

▼ उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (c)

आधार प्रमाणीकरण में प्रस्तुत जानकारी का केंद्रीय पहचान भंडार में उपलब्ध रिकॉर्ड से सत्यापन होता है। यह सभी योजनाओं की पात्रता, मतदाता-पंजीकरण या नागरिकता का स्वतः निर्णय नहीं है।

स्रोत

1. इंडियन एक्सप्रेस, 7 नवंबर: 6 नवंबर के मंत्री के स्पष्टीकरण का विवरण
2. द टेलीग्राफ, 7 नवंबर: EPIC के साथ आधार प्रमाणीकरण और प्रशिक्षण का संदर्भ
3. द हिंदू, 3 नवंबर: पहले बयान का समाचार
4. UIDAI: आधार की पहचान और नागरिकता संबंधी सीमा
5. UIDAI: आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया
6. निर्वाचन आयोग: सामान्य मतदाता-पंजीकरण की शर्तें